

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक /
प्रति,

/ मु.लि. / 2017

सूरजपुर, दिनांक मई 2017

वार्षिकालय कर्ट नं. सूरजपुर
पत्र क्र. १४ दि. २५/५/१७

शाखा - ५३८
मई २०१७

11 MAY

अधीकारी

कलेक्टर

विषय :- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2016-17, ग्राम-नवगाई में अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) की अधिसूचना का प्रकाशन के सम्बन्ध में।

विषयांतर्गत भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) अधिसूचना तीन तीन प्रतियाँ संलग्न कर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजा जा रहा है। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन उपरांत प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

संघी-

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 682^A / मु.लि. / 2017

सूरजपुर, दिनांक ०४ मई 2017

प्रतिलिपि :-

- कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा/एन.आई.सी. शाखा, जिला कार्यालय सूरजपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। अधिसूचना की एक-एक प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया अधिसूचना को समुचित सरकार के वेब साइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।
- तहसीलदार, सूरजपुर को अधिसूचना की प्रतियों सहित संबंधित ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय, अ.वि.अ. (रा.) कार्यालय, सूरजपुर के नोटिस बोर्ड में चर्चा कर प्रकाशन की जानकारी भेजने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर, जिला—सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना**

सूरजपुर, दिनांक 13/04/2017

भू—अर्जन प्रकरण क्रमांक 20 /अ—82/16—17 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा—11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

—:: अनुसूची ::—

जिला	तहसील	भूमि का प्रकार			धारा—12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूरजपुर	सूरजपुर	नवगई	233	0.08	कार्यपालन अभियंता	नवगई व्यपवर्तन
		प.ह.नं. 2	234	0.02	जल संसाधन	योजना जलाशय
			235	0.07	संभाग—सूरजपुर	/परियोजना
			232	0.01	जिला—सूरजपुर (छ.ग.)	झूब क्षेत्र/नहर
			237	0.13		नाली निर्माण
			238	0.02		हेतु भू—अर्जन
			251	0.03		
			242	0.06		
			267/2	0.05		
			274	0.03		
			275	0.04		
			461	0.08		
			288/2	0.13		
			430/1	0.07		
			288/3	0.08		
			430/5	0.08		
			300	0.15		
			304	0.05		
			303	0.20		
			427	0.20		
			481	0.23		
			423	0.11		
			425	0.07		
			426	0.12		
			262/2	0.04		
			276	0.30		
			428	0.13		
			430/2	0.07		
			430/3	0.07		
			430/4	0.08		

			431/1	0.06		
			431/2	0.11		
			432	0.15		
			433	0.05		
			439	0.07		
			440	0.05		
			441	0.15		
			442	0.11		
			458	0.04		
			459	0.13		
			460	0.35		
			462/1	0.10		
			463	0.06		
			464	0.06		
			482	0.08		
			1325	0.06		
	योग :-		46	4.43		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (संख्या 30 सन् 2013) के अध्याय दो एवं तीन के प्रावधानों के तहत सिंचाई परियोजनाओं की बावत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सूरजपुर, जिला-सूरजपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर

(जी.आर.चुरन्द्र)
कलेक्टर,
जिला-सूरजपुर
एवं पदेन संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग